

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

:: अधिसूचना ::


4 MAY 2017

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र०सं०	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1.	जिला न्यायाधीश, बारां	अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, बारां	बारां
2.	जिला न्यायाधीश, जयपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश संख्या-2, कोटपुतली	कोटपुतली

नोट:-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2017/ 738

Dated : 06/06/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.District and Session Judge, Baran/ Jaipur District
- 3.Additional District Judge NO.2, Baran / No. 2 Kotputli.
- 4.Chief Judicial Magistrate, Baran/ Jaipur District.
- 5.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)